

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 535 / 2022

दिनांक : 11.02.2022

श्रीमती गरिमा बंसल (RJ1043), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड को दिनांक 28.02.2022 से 26.08.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 26.02.2022 से 27.02.2022 एवं 27.08.2022 से 28.08.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री नीरज कुमार-II (RJ0655), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड को श्रीमती गरिमा बंसल के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड एवं प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री नीरज कुमार-II (RJ0655), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड एवं प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालयों के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/31/2016/ 1046

दिनांक : 11.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड को उनके पत्रांक 492 दिनांक 29.01.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती गरिमा बंसल (RJ1043), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड।
5. श्री नीरज कुमार-II (RJ0655), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड।
7. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड।
8. संबंधित कोषालय।
9. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार